न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एल.आर. / 958 / 2006 / जिला जोधपुर

मोहल्ला विकास समिति, गेवां, बांगा, सूरसागर, जोधपुर द्वारा - उसके अध्यक्ष नैनसुख पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति माली भाटी, निवासी धर्मावता का बास, ग्राम बागा, सूरसागर, जिला जोधपुर ।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1- जीवराज पुत्र श्री मोडाराम जाति माली निवासी गेंवा
2- अशोक पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी गेंवा
3- मदन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी गेंवा
4- श्याम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी गेंवा

5- रामदयाल (मृतक) पुत्र श्री पुसाराम के कायम मुकाम :-
5/1- श्रीमती तुलसीदेवी धर्मपत्नी स्व0 रामदयाल
5/2- किशनलाल पुत्र स्व0 रामदयाल
5/3- पुरखाराम पुत्र स्व0 रामदयाल
5/4- प्रेमसिंह पुत्र स्व0 रामदयाल
5/5- ताराचंद पुत्र स्व0 रामदयाल
5/6- श्रीमती प्रेमलता धर्मपत्नी श्री छिन्नाराम, पुत्री स्व0 रामदयाल
सभी जाति माली, निवासी सोढों की ढाणी, सूरसागर जिला जोधपुर।

6- हुकमाराम पुत्र श्री पुसाराम जाति माली निवासी सीढ़ी की ढाणी, तह0 जोधपुर जिला जोधपुर।
7- राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, जोधपुर।
8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जोधपुर ।

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ (शिविर जोधपुर)
श्री प्रमिल कुमार माथुर, सदस्य

उपस्थित :
श्री लाधूराम पुनिया, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री शशिधरनारायण भट्ट, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1
श्री अणदाराम चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-7
अप्रार्थी संख्या-2 से 4, 5/1 से 5/6, 6 व 8 अनुपस्थित,

दिनांक : 02-4-2012

निर्णय

1- हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-84 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या-102/2004 में दिनांक 21-1-2006 को पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से हैं कि प्रत्यर्थी संख्या-1 से 6 ने प्रत्यर्थी संख्या-7 राजस्थान सरकार को अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-136 के अन्तर्गत ग्राम बागा तहसील जोधपुर में अवस्थित खसरा संख्या-648 एवं 648/2 के नामान्तरकरण संख्या-270 में दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र सहायक जिलाधीश एवं उप खण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके द्वारा खसरा संख्या-648 की 3 बीघा भूमि एवं खसरा संख्या-648/2 की 2 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ समर्पित की गयी थी जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने दिनांक 22-7-1978 को आदेश पारित कर समपर्ण स्वीकार किया, लेकिन उक्त आदेश की पालना में खोला गया नामान्तरकरण संख्या-270 में खसरा संख्या-648 में समर्पण किया गया रकबा 3 बीघा की जगह 2 बीघा एवं खसरा संख्या-648/2 में रकबा 2 बीघा की जगह 3 बीघा लिखा गया है। अतः रिकार्ड में दुरूस्ती की जाए । विद्वान उप खण्ड अधिकारी, जोधपुर ने दिनांक 18-12-2003 के निर्णय द्वारा प्रार्थीगण / प्रत्यर्थी संख्या-1 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तदानुसार दुरूस्ती के आदेश पारित किये जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के सम्मुख प्रस्तुत की। जो प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर ने निर्णय दिनांक 21-1-2006 द्वारा अस्वीकार कर निरस्त की । जिससे व्यथित होकर हस्तगत् द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का सारतः तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय समर्पणनामा की छाया प्रति के आधार पर पारित किया है । किसी भी अधीनस्थ न्यायालय ने मूल समर्पणनामा में खसरा संख्या-648 की 2 बीघा जमींन एवं खसरा संख्या-648/2 की 3 बीघा जमींन का उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही समर्पणनामा की सम्पूर्ण जांच की गयी है । चूंकि विवादित आराजी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ समर्पित की गयी थी। अतः जनहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है

5- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1 का कथन है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । अपील व्यथित पक्षकार द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है । व्यथित पक्षकार मात्र राज्य सरकार है जिसने अपील प्रस्तुत नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर युक्ति युक्त रूप से किया है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है । अतः हस्तगत् अपील निरस्त किये जाने योग्य है ।

6- विद्वान उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-7 ने प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने की प्रार्थना की ।

7- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया ।

8- हस्तगत् प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 से 6 ने विवादित आराजी के खसरा संख्या-648 एवं 648/2 की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को समर्पित की थी। प्रत्यर्थी संख्या-1 से 6 का कथन है कि उनके द्वारा खसरा संख्या-648 की 3 बीघा एवं 648/2 की 2 बीघा भूमि ही समर्पित की गयी थी, लेकिन नामान्तरकरण में विवादित

आराजी का रकबा 3 बीघा की जगह 2 बीघा एवं 2 बीघा की जगह 3 बीघा लिख दिया गया है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है ।

9- यह तथ्य भी अविवादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय का आधार स्वयं प्रत्यर्थी संख्या-1 से 6 द्वारा प्रस्तुत समर्पणनामे की छाया प्रतियों को बनाया है जबकि अपीलार्थी ने उसके खण्डन में उक्त समर्पणनामे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिनके तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों समर्पणनामे में खसरा संख्या-648 एवं 648/2 की समर्पित भूमि के रकबा में परस्पर परिवर्तन एवं अन्तर है ।

10- यह सुस्थापित विधि है कि छाया प्रतियां भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य में ग्राहय नहीं है एवं उन्हें निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता है । चूंकि हस्तगत् प्रकरण में विद्वान उप खण्ड अधिकारी, जोधपुर एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर दोनों ने ही प्रार्थीगण / प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत छाया प्रतियां जिसमें कि आराजी खसरा संख्या-648 की 3 बीघा एवं 648/2 की 2 बीघा भूमि समर्पित होना दर्शाया गया है, को आधार बनाकर ही निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत् नहीं है ।

11- इसके विपरीत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समर्पणनामा दिनांक 22-7-1978 की प्रमाणित प्रति जो कि लोक दस्तावेज होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य में ग्राहय है, के अनुसार आराजी खसरा संख्या-648 की 2 बीघा जमींन एवं आराजी खसरा संख्या 648/2 की 3 बीघा जमींन प्रत्यर्थी संख्या-1 से 6 द्वारा समर्पित की गयी थी एवं उक्त अनुसरण में ही नामान्तरकरण संख्या-270 में खसरा संख्या-648 में से 2 बीघा एवं खसरा संख्या-648/2 में से 3 बीघा जमींन के समर्पणनामा की प्रविष्टि सम्यक् एवं युक्ति युक्त रूप से की गयी है । अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सुसंगत एवं सुस्थापित विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर समाहित कारणों से विधि विरूद्ध रूप से आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है ।

12- विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों से यह अपेक्षित था कि वह लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करते समय सम्बन्धित मूल अभिलेख को तलब करता एवं मूल अभिलेख का अध्ययन करने के उपरान्त ही यथोचित निर्णय पारित करता, लेकिन हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों ने मूल अभिलेख का अध्ययन किये बिना ही आश्चर्यजनक रूप से निहित कारणवश विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुये प्रकरण का निस्तारण किया है, जो कि निश्चित रूप से प्रशंसनीय नहीं है ।

13- चूंकि विवादित आराजी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ समर्पित की गयी है एवं अपीलार्थी ने जनहित के आधार पर हस्तगत् अपील प्रस्तुत की है । अतः विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या-1 का कथन करना कि अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, पोषणीय नहीं है ।

14- निष्कर्षतः हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है एवं न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21-1-2006 एवं विद्वान उप खण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18-12-2003 निरस्त किये जाते है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रमिल कुमार माथुर)
सदस्य